

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 107] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 26, 1981/चैत्र 5, 1903
No 107] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 26, 1981/C-HAITRA 5, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक संग्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1981

सा. का. नि. 211 (अ) .—तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) की धारा 5 और 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. (1) ये नियम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम, 1981 कहे जा सकेंगे।

(2) यह नियम अप्रैल, 1981 की पहली तारीख से लागू होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के नियम 14, उप-नियम (1) में "बयालीस रुपये" के स्थान पर "इक्कसठ रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[संख्या आई एस-12014/1/80-उत्पादन]

पी. पी. खन्ना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZERS

(Department of Petroleum)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 1981

G.S.R. 211(E).—In exercise of the powers conferred by sections 5 and 6 of the Oilfields (Regulations and Development) Act 1948 (53 of 1948), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, namely,

1. (1) These rules may be called the Petroleum and Natural Gas (Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 1981.

2. In the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, in rule 14, in sub-rule (1), for the words "forty-two rupees", the words "sixty-one rupees" shall be substituted.

[No. IS-12014/1/80-Prod.]

P. P. KHANNA, Jt. Secy.